जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.

उपमुख्य अभियन्ता (आई टी एण्ड सी आर पी)
ओल्ड पावर हाउस परिसर, बनीपार्क जयपुर

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या **36**

कार्य का नाम :— ओल्ड पावर हाउस परिसर, बनीपार्क जयपुर मे स्थित डाटा सेन्टर भवन की सफाई व्यवस्था

(निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तो एवं सफाई कार्य के विवरण का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा ओल्ड पावर हाउस परिसर, बनीपार्क जयपुर मे स्थित डाटा सेन्टर भवन का निरीक्षण करने के पश्चात समस्त शर्तो के अनुरूप ही भरी हुई निविदा प्रस्तुत करें।)

1.	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय	**23-07-10**	दोपहर **1.00**बजे तक
2.	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	**23-07-10**	दोपहर **2.30** बजे तक
3.	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	**23-07-10**	दोपहर **3.00** बजे तक

अर्नेस्ट रूपयें **7000/—** मात्र		मूल्य रूपयें **200/—** मात्र

ओल्ड पावर हाउस परिसर, बनीपार्क जयपुर मे स्थित डाटा सेन्टर भवन की सफाई व्यवस्था सम्बन्धी कार्य हेतु अनुबन्ध एवं निविदा की शर्ते

प्रतिष्ठि ठेकेदार/निविदादाता/फर्म से द्विस्तीरीय सील बन्द निविदाएं आंमत्रित की जाती है जिसके निम्नानुसार दो भाग होंगेः–

1. तकनीकी निविदा
2. वित्तीय निविदा

1. ठेकेदार / निविदादाता / फर्म भविष्य निधि विभाग व सर्विस टैक्स विभाग से पंजीकृत होनी चाहिए। यदि पंजीकरण नही है तो निविदा निरस्त मानी जावेगी।

2. ठेकेदार / निविदादाता द्वारा अपने सफाईकर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दिये जाने की अण्डरटैकिंग देनी होगी तथा नियमानुसार प्रतिमाह देय से कम नही होगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

3. ठेकेदारों / निविदादाताओं को जिनको पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्वशासकीय कार्यालयों,प्राइवेट कार्यालयों, होटलों एंव बहुमंजिली (कम से कम 10000 sq. feet कर्वड एरिया) भवनों में विशेषकर आधुनिक तकनीकी वातावरण/स्थल जिसमें (कप्यूटर, सर्वर, राउटर, आडियो–विडियो, विजुअल प्रोजैक्शन सिस्टम, एवं अन्य आई टी उपकरण रखे हों,) विनायल शीट कारपेट,विटरी फाइड टाइल सेरेमिक टाइल/ ग्रेनाइट इत्यादी के फर्श की सफाई कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव हो तथा अनुभव प्रमाण – पत्र जो कि सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया हो, निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. फर्म का पिछले तीन वर्षो में प्रतिवर्ष राशि रूपये बीस लाख का टर्न ओवर रहा है।

5. फर्म के पास कम से कम 40 कर्मचारियों का स्टाफ कार्यरत है।

6. निविदा खोलने के क्रम में सर्वप्रथम तकनीकी निविदा वाला लिफाफा खोला जावेगा। तथा संलग्न दस्तावेजों की जॉच कर निविदा कर्ता की योग्यता की जॉच की जावेगी, सक्षम पाये जाने के उपरान्त वित्तीय निविदा खोली जावेगी। जिसकी सूचना प्रथक रूप से प्रदान की जावेगी। विभाग को किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

7. ठेकेदारों / निविदादाताओं को धरोहर राशि (**EARNEST MONEY**) रूपये **7000** नकद / बैंक ड्राफ्ट द्वारा वरिष्ट लेखा अधिकारी (टी डब्लु) जयपुर डिस्काम जयपुर के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी

8. बिना **EARNEST MONEY** जमा कराये निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।

9. ठेकेदार / निविदादाता को **EARNEST MONEY,** जमानत राशि / प्रतिभूति राशि (**SECURITY MONEY**) वरिष्ट लेखा अधिकारी (टी डब्लु) जयपुर डिस्काम जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी।

10. ठेकेदार / निविदादाता सफाई के कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को "सबलेट" हस्तान्तरित नही कर सकेगा। ऐसा पाया जाने पर ठेका / अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।

11. सफाई सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट पायी गई तो सामग्री को जब्त कर ठेके / निविदा को रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

12. ठेका / निविदा स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को **1000/–** के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुबन्ध पत्र प्रतिपादित करना होगा जो ठेके / अनुबन्ध की अवधि के लिए होगा।

13. सफल ठेकेदारों / निविदादाताओं को जमानत के रूप में ठेके / निविदा की राशि का **5%** प्रतिभूति राशि (**SECURITY MONEY**) राशि इस कार्यालय में जमा करानी होगी जो कि कार्य आदेश अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात लौटा दी जावेगी तथा धरोहर राशि (**EARNEST MONEY**) कार्य प्रारम्भ होने के एक माह पश्चात लौटा दी जावेगी। यदि ठेके / निविदा की शर्तो में उल्लंघन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड देने का अधिकार होगा। ठेकेदारों / निविदादाता द्वारा आर्थिक दण्ड जमा न कराने की स्थिति में दण्ड राशि जमानत की राशि से वसूल की जावेगी।

14. सफाई की व्यवस्था के लिये केयर टेकर / अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों का ठेकेदार / निविदादाता को पालन करना होगा तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार / निविदादाता को कार्य करना होगा।

15. ठेके / निविदा की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर अध्यक्ष एवं प्रवंधक निदेशक जयपुर डिस्कॉम जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार / निविदादाता को मान्य होगा।

16. ठेका / निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिये ठेका / निविदा निरस्त कर दिया जावेगा।

17. किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियॉं किसी भी पक्ष (J.V.V.N.L अथवा संविदाकार) द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी अन्य स्थान पर नही।

18. सफाई कार्य हेतु ठेका / अनुबन्ध तीन वर्ष के लिए किया जावेगा परन्तु कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर एक वर्ष बाद भी अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता हैं ।

19. ठेकेदार / निविदादाता द्वारा प्रस्तुत पत्र में कोई त्रुटि / कटिंग / उपरीलेखन पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार उपमुख्य अभियन्ता (आई टी एण्ड सी आर पी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर को होगा ।

20. न्यूनतम दरों को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार उपमुख्य अभियन्ता (आई टी एण्ड सी आर पी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

21. निविदा के साथ आयकर पंजीकरण पत्र सलंग्न करना आवश्यक होगा।

22 निविदा का मूल्याकंन तीन वर्षो की टेन्डर राशि के कुल योग पर किया जायेगा

23. **मोहरबन्द निविदा प्रपत्र मय धरोहर राशि सहित** दो अलग–अलग सील बन्द लिफाफे जिन पर "ओल्ड पावर हाउस परिसर, बनीपार्क जयपुर मे स्थित डाटा सेन्टर भवन की सफाई व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो का निविदा प्रपत्र" अंकित हो।तथा दोनों लिफाफों पर निम्न शीर्षक अलग–अलग अंकित हों।

1 तकनीकि निविदा में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

- निविदा प्रपत्र
- न्यूनतम मजदूरी की अण्डरटेकिंग
- भविष्य निधि विभाग व सर्विस टैक्स विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र
- न्यूनतम क्षेत्रफल का 3 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
- निर्धारित अमानत राशि का डी.डी.
- आयकर पंजीकरण प्रपत्र
- राशि रूपये 1000/– के नान् ज्यूडिशिलय पर संलग्न शपथ पत्र

उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक प्रपत्रों की प्रति संलग्न करें।

2. <u>वित्तीय निविदा</u>

- वित्तीय निविदा प्रस्ताव

दिनांक **23-07-10** के दिवस **2ः30** बजे तक उपमुख्य अभियन्ता (आई टी एण्ड सी आर पी), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर पहुंच

जाने चाहिए एवं दिनाक 23-07-10 **3:00** बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदायें खोली जायेगी।

24. ठेके / निविदा की दरें संस्था अपने लेटर पेड पर ही प्रेषित करें।

25. सफाई कार्यो के विवरण में दिये सफाई कार्यो को करते समय दुर्घटनावश या अन्य किसी कारण से यदि किसी सफाईकर्मी की मृत्यु हो जाती है अथवा किसी भी रूप में अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि देने का भार ठेकेदार / निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

26. किसी भी माह में डाटा सेन्टर में सफाई व्यवस्था पर्याप्त स्तर की नही पायी जाने पर उस माह के बिल में से एस.एल.ए. अनुसार राशि दण्ड स्वरूप काट ली जावेगी।

27. यदि कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार/जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को सफाई कर्मियों पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार / निविदादाता को होगा।

28. ठेके / निविदा की अवधि में निविदादाता इस अवधि में किसी भी कारणवश डाटा सेन्टर भवन के सफाई कार्यो को कराने में असमर्थ रहता है तो उस अवधि का कोई भुगतान देय नही होगा एवं विभाग द्वारा अपने स्तर पर सफाई कराने में जो राशि व्यय की जाती है वह राशि ठेकेदार / निविदादाता को देय अन्य मासिक बिलों की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि / प्रतिभूति राशि (**SECURITY MONEY**) में से समायोजित कर ली जावेगी।

29. निविदाकार को निविदा और करार की शर्तो एवं प्रतिबन्धों की स्वीकृति प्रतीक स्वरूप निविदा की प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगें।

30. ठेकेदार / निविदादाता को सफाई व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो का प्रत्येक माह की समाप्ति पर अगले माह की सात तारिख तक तीन प्रतियो मे बिल डाटा सेन्टर स्थित अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात अनुबन्ध राशि का भुगतान माह कि पन्द्रह तारिख तक किया जायेगा।

31. नियमानुसार आयकर /अन्य कर की कटौती की जायेगी।

32. अमानत राशि/सुरक्षा राशि को जब्त करने के सम्बन्ध में जी.एफ.एण्ड आर. के निम्न नियम लागु होंगेः–

Forfeiture of Earnest Money:-

(a) The earnest money shall be forfeited in the following cases:-

(i.) When the tenderer withdraws or modifieis the offer after opening of tender but before acceptance of the tenderer;

(ii.) When he does not execute the agreement, if any, prescribed within the specified time;

(iii.) When he fails to commence the supply of the items as per purchases order within the time prescribed;

(iv.) When the tenderer does not deposit the security money after the purchase order is given.

(b) **Forfeiture of security deposit**: Security deposit shall be forfeited in the following cases:-

(i.) When any terms and conditions of the contract is infrignged;

(ii.) When the tenderer fails to make complete supply satisfactorily:

(c) Notice will be given to the tender with reasonable time before earnest money or security deposit is deposited is forfeited.

(d) The forfeited amount of earnest money/security deposit shall be credited to ñOther receiptsò of the department concerned and necessary action for arranging transfer entry shall be taken.

सफाई कार्यो का पूर्ण विवरण

33 ठेकेदार/निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि डाटा सेन्टर भवन में धूल रहित वातावरण उपलब्ध रहे। दीवार, कॉच, तस्वीर व किसी भी वस्तु की सतह इत्यादी पर धूल/निशान/धब्बे /मकडी के जाले /छिपकलिया इत्यादि दिखाई नहीं देने चाहिए इसके लिए निविदा कर्ता को उपयुक्त सफाई सामग्री से साफ करना होगा। अन्यथा विभाग द्वारा एस.एल.ए. के अनुसार पैलल्टी लगाई जावेगी।

34. प्रस्तावित सफाई का क्षेत्र

क्र.सं.	विवरण		
1	स्वागत कक्ष	फर्श, छत, दीवार, तस्वीरे, मेज, कुर्सी, सोफा, दरवाजे, मानीटर, कॉच की दीवार, टेलिफोन इत्यादी	प्रति दिन
2	कोरीडोर	फर्श, छत, दीवार, तस्वीरे, दरवाजे, शू रैक इत्यादी	प्रति दिन
3	मेनेजर रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, पर्दे, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी	प्रति दिन
4	एक्जीक्यूटिव रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, पर्दे, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी	प्रति दिन
5	कान्फ्रेंस रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर,/टी.वी. कॉच की दीवार, इत्यादी	प्रति दिन
6	एडमिनस्ट्रैटर रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, पर्दे, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी	प्रति दिन
7	एफ.एम.एस. रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी दरवाजे खिडकिया, मानीटर इत्यादी	प्रति दिन
8	रैस्ट रूम	फर्श, छत, दीवार, तस्वीरे, दरवाजे, पलंग, गद्दे, चादर, तकिये टेबिल रैक इत्यादी	प्रति दिन
9	गैस्ट रूम	फर्श, छत, दीवार, तस्वीरे, मेज, कुर्सी, सोफा, एवं दरवाजे इत्यादी	प्रति दिन
10	स्टेजिंग एरिया	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी निविदा दाता द्वारा	प्रति दिन

		स्टैजिंग एरिये में रखी रैक उपकरणों को साफ नंही करना होगा	
11	टायलैट्स	सम्पूर्ण क्षेत्र (पीली पपडी नहीं पडनी चाहिए)	प्रति दिन
12	ब्रेकआउट एरिया एक्वागार्ड एवं वाश वेसिन	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, फ्रिज, गिजर,माइक्रावेव एक्वागार्ड वाश वेसिन एवं अन्य उपकरण	प्रति दिन
13	डी एस एम भवन (सम्पूर्ण क्षैत्र मय कोन्फ्रेन्स हॉल कोरिडोर एवं टॉयलेट)	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी	प्रति दिन
14	ओल्ड डाटा सेन्टर भवन (सम्पूर्ण क्षैत्र मय टॉयलेट)	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी	प्रति दिन
15	कोरीडोर	फर्श, छत, कॉच की दीवारें, दीवार,, दरवाजे, इत्यादी	प्रति दिन
16	सिढियां /लिफ्ट /लिफ्टरूम	फर्श, छत, कॉच की दीवारें, दीवार,, दरवाजे, इत्यादी	प्रति दिन
17	एन.ओ.सी.	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर,,पर्दे, कॉच की दीवार, इत्यादी	प्रति दिन
18	सर्वर फार्म	फर्श, कॉच के दरवाजे एवं खिडकिया, इत्यादी निविदा दाता द्वारा सर्वर फार्म में रखे उपकरणों को साफ नंही करना होगा तथा सर्वर फार्म में एफ.एम. एस. टीम के प्रतिनिधी के साथ ही प्रवेश करेगा।	प्रति सप्ताह
19	विद्युत कक्ष एवंम यू पी एस रूम	फर्श, कॉच के दरवाजे एवं खिडकिया, इत्यादी निविदा दाता द्वारा विद्युत कक्ष में रखे उपकरणों को वेक्यूक्लिनर द्वारा साफ करना होगा तथा एफ.एम. एस. टीम के प्रतिनिधी के साथ ही प्रवेश करेगा	प्रति सप्ताह
20	जनरेटर रूम एवंम फायर फायटिंग कंट्रोल रूम	फर्श, कॉच के दरवाजे एवं खिडकिया, इत्यादी निविदा दाता द्वारा विद्युत कक्ष में रखे उपकरणों को साफ नही करना होगा तथा एफ.एम.एस. टीम के प्रतिनिधी के साथ ही प्रवेश करेगा	प्रति दिन

35. प्रतिदिन प्रातः सात बजे सफाई हेतु चार सफाई कर्मचारी एवं पूर्ण कार्यालय समय में दो सफाई कर्मचारी डाटा सेन्टर भवन के एफ.एम.एस. रूम में निर्धारित वर्दी में ही उपलब्ध रहेगे (राजकीय अवकाश के दिनों मे भी) तथा कर्मचारी के पास हमेशा मोबाईल फोन चालू स्थिती में उपलब्ध होना अनिवार्य है जिसका भुगतान एवं रखरखाव की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी एवं बिना वर्दी के पाये जाने पर अनुपस्थिती मानी जावेगी तथा अनुपस्थित व्यक्तियों की प्रतिमाह देय राशि में से प्रति अनुपस्थित व्यक्ति राशि रूपये 200/– प्रतिदिन की कटौती एवंम मोबाइल फोन बन्द होने पर 100/– रूप्ये प्रतिदिन कटौती की जावेगी।

S.No.	Type	No. of Persons
1	सुपरवाईजरं (7 AM to 6.0 PM)	1
2	सफाईकर्मी (7 AM to 9.30 AM)	4
3	सफाईकर्मी (9.30 AM to 6 PM)	2

36. ठेकेदारों / निविदादाताओं को सफाई सम्बन्धित निम्न सामग्री की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार / निविदादाता को करनी होगी :–

क्र.सं.	विवरण
1.	वैक्यूम क्लीनर 2 नग
2.	ब्रश एवमं झाडू/पौचा लगाने की मशीन
3.	एलम्युनियम सीढी
4.	सफाई कार्य हेतु ग्लब्स
5.	फिनाईल
6.	साबुन
7.	तोलिया एवं नेपकीन
7.	मिट्‌टी का तेल
8.	होमोकाल
9.	फिनाईल की गोलियां
10.	सुगन्धित तेल
11.	वाशिंग पाऊडर
12.	झाडू
13.	टीपोल
14.	पोचे
15.	एसिड
16.	डस्टर ब्रुश
17.	नमक का तेजाब
18.	फिनिट ऑइल /ओडोनिल
19.	अन्य सामग्री जो सफाई कार्य में उपयोग आती हो।

37. डाटा सेन्टर भवन के समस्त कमरों, गैलरी इत्यादि में सफाई का कार्य सुबह **8.00** बजे तक दोपहर **1.30** PM से **2.00** PM तक तथा सांय 4.30 से 5.00 बजे प्रतिदिन दिन में तीन बार पोछा लगाना होगा।जिसकी कि तस्दीक एफ.एम.एस. टीम (Facility Management service team) सदस्य से प्रत्येक बार रजिस्टर में करानी होगी। सफाई कार्यो में फिनाईल, साबुन के पानी का घोल इत्यादी अन्य सामग्री जो सफाई कार्य में उपयोग आती हो उपयोग में लाना होगा।

38 संवेदनशील क्षेत्र जैसे सर्वर फार्म की सफाई रात्रि/अवकाश के दिन या downtime समय के पशचात एफ.एम.एस. टीम (Facility Management service team) /एच.सी.एल. के सदस्य के समक्ष की जानी सुनिश्चित होगी तथा संवेदनशील क्षेत्र में सफाई कार्य करने वाला कर्मचारी की योग्यता न्यूनतम सीनियर सैक्ण्डरी उत्तीर्ण हाना अनिवार्य है साथ ही संवेदनशील एरिया में सफाई वैक्यूम क्लीनर तथा पौचे के साथ ही होगी एवं सफाई के समय सफाई कर्मी के हाथो में ग्लब्स होने चाहिए। इस क्षेत्र में कहीं भी कभी भी धूल नहीं पाई जानी चाहिए।

39. डाटा सेन्टर भवन के समस्त दरवाजों कमरों में लगे पार्टीशन एवं खिडकियों की प्रतिदिन एक बार सफाई करनी होगी। जिसकी कि तस्दीक एफ.एम.एस. टीम के सदस्य से रजिस्टर में करानी होगी।

40. वेक्यूम क्लीनर द्वारा कमरों में कारपेट / सौफा सेट / पर्दे आदि की सफाई प्रत्येक एक सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होगी तथा डाटा सेन्टर भवन में रखे सोफा, कुर्सियों, पर्दे पलगं की चादरें इत्यादी एवं पर्दे की ड्राईक्लीनिंग माह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

41. डाटा सेन्टर भवन में स्थित समस्त शौचालय की सफाई का कार्य एंव धुलाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा। शौचालयों की धुलाई साबुन के पानी एवं फिनाइल के उपयोग से करना होगा। शौचालयों में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग एवं समय समय पर तेजाब से सफाई तथा सफाई सम्वन्धी पाउडर का प्रयोग भी करना होगा। समस्त शौचालयों में प्रतिदिन साफ तौलिया/नैपकीन साबुन फिनायल की गोलियां एवं यूरिनल ट्यूब्स निर्धारित स्थान पर हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए।

42. डाटा सेन्टर भवन की गटर लाईन में सप्ताह में एक बार लाईन में पानी चलाकर साफ करना होगा।तथा इस बात का ध्यान रखा जावे कि पानी नहीं जमा होने पाये।

43. डाटा सेन्टर भवन की छत की सफाई का कार्य माह मे कम से कम एक बार करना होगा।

44. डाटा सेन्टर भवन के समस्त तलों पर सफाई करने के पश्चात् कूडा–कचरें को भवन परिसर के वाहर उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त

उचित स्थान के अलावा दूसरी जगह कूड़ा–कचरें को डालने की अनुमति नही होगी। अन्यथा विभाग द्वारा प्रतिघटना राशि रूपये 200/– पैनलटी लगाई जावेगी।

45. ठेकेदारों / निविदादाताओं को विशेष आयोजनों /अन्यथा आवश्यकता पडने पर विशेष सफाई का कार्य भी करना होगा। विशेष सफाई कार्य सामान्य कार्यालय समय /दिवस के अलावा भी करवाया जा सकेगा। जिसकी सूचना यथासमय पूर्व में अधिकृत अधिकारी द्वारा ठेकेदार / निविदादाता को दी जावेगी। इस प्रकार की सफाई व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार / निविदादाता की होगी तथा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

46. डाटा सेन्टर भवन में सफाई कार्य करने के बाद एक सफाई कार्य करने वाले व्यक्ति को वर्दी सहित कार्यालय समय से उपलब्ध कराने होगे, तथा कर्मचारी के पास ठेकेदार / निविदादाताओं के द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र होना आवश्यक है जो केयर टेकर/अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगें।

47. इसके अतिरिक्त केयर टेकर / अधिकृत अधिकारी डाटा सेन्टर भवन जयपुर द्वारा बताये गये समस्त कार्यो को पूरा करना होगा एवं सफाई करने वाले व्यक्ति उपलव्ध कराने होगें।

48. डाटा सेन्टर भवन के क्षेत्र में कहीं पर भी धूल/जाले नही पाये जाने चाहिए एवं कॉच की दीवार/तस्वीर पर धूल/निशान नहीं दिखने चाहिए। पाये जाने पर निम्न एस.एल.ए. के अनुसार जुर्माना राशि काटी जावेगी।

49. ठकेदार/निविदादाता द्वारा निम्नानुसार सर्विस लेवल अनुबन्ध निम्न प्रकार से रहेगाः–

एस.एल.ए. समयाअवधि प्रतिदिन प्रातः 8 से सांय 6 बजे तक

क्र.स.	सर्विस लेवल	कार्य विवरण	स्वीकृत समयाअवधि	जुर्माना राशि
1	श्रेणी 0	• सर्वर फार्म • ओल्ड डाटा सेन्टर • डी एस एम हॉल • विद्युत कक्ष • एडमिस्ट्रेटर रूम • एक्जीक्यूटिव रूम • मेनेजर रूम • कान्फ्रेंस रूम • एफ.एम.एस. रूम • एन.ओ.सी. • फर्श, • फर्नीचर (सोफा,कुर्सिया, मेंज, सेटी इत्यादी) • कॉच की दीवारे/दरवाजे • सी.पी.यू. एवं मोनीटर • पर्दे/ब्लाईड्स	1 दिन	प्रति दिन 500/– रूपये जुर्माना काटा जावेगा
2	श्रेणी 1	• स्वागत कक्ष • गेस्ट रूम • कोरीडोर • लिफ्ट एवंम सिढियां • दीवारें	1 दिन	प्रति दिन 400/– रूपये जुर्माना काटा जावेगा

		• स्टेजिंग एरिया • टेलीफोन • टैलीवीजन • तस्वीरे • टायलैट्स • फ्रिज, गिजर,माइक्रावेव एक्वागार्ड वाश वेसिन एवं अन्य उपकरण		
3	श्रेणी 2	• रैस्ट रूम • रैस्ट रूम टायलैट्स • तकिये • चादरे • सेन्टर टेबल	2 दिन	प्रति दिन 300 / — रूपये जुर्माना काटा जावेगा

सर्विस लेवल अनुबन्ध निम्नानुसार

सर्विस लेवल	समयाअवधि
श्रेणी 0	प्रत्येक गलती होने पर 3 दिन एस.एल.ए. स्वीकृत समय अवधि पश्चात शिकायत का निवारण न होने पर चार्ज होगा(Every accurence of failure is equal to 3 days S.L.A. down time)
श्रेणी 1	प्रत्येक गलती होने पर 2 दिन एस.एल.ए. स्वीकृत समय अवधि पश्चात शिकायत का निवारण न होने पर चार्ज होगा(Every accurence of failure is equal to 2 days S.L.A. down time)
श्रेणी 2	प्रत्येक गलती होने पर 1 दिन एस.एल.ए. स्वीकृत समय अवधि पश्चात शिकायत का निवारण न होने पर चार्ज होगा(Every accurence of failure is equal to 1 days S.L.A. down time)

वित्तीय निविदा

इस निविदा से सम्बन्धित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्ते मैने/हमने पढ ली है और यह प्रतिबन्ध एवं शर्ते मुझे/हमे स्वीकार है तथा ओल्ड पावर हाउस परिसर, बनीपार्क जयपुर मे स्थित डाटा सेन्टर भवन के समस्त सफाई कार्यो मय सफाई सामग्री सहित की दरें निम्न प्रकार से निविदा प्रस्तुत हैः–

क्रम संख्यां	कार्य का विवरण	प्रथम वर्ष के लिए ठेके की राशि (प्रति माह) समस्त कर व अन्य चार्जेज सहित	द्वितीय वर्ष के लिए ठेके की राशि (प्रति माह) समस्त कर व अन्य चार्जेज सहित	तृतीय वर्ष के लिए ठेके की राशि (प्रति माह)समस्त कर व अन्य चार्जेज सहित
1.	ओल्ड पावर हाउस परिसर, बनीपार्क जयपुर मे स्थित डाटा सेन्टर भवन के समस्त सफाई कार्य	रूपयें शब्दों में		
		अंको में रूपयें		

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ः– ____________________________

पूरा पता ः– ____________________________

____

* सारणियों में अंकित सामग्री, न्यूनतम प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री है। यदि उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त सामग्री ठेकेदार द्वारा/निविदा दाता द्वारा उपयोग में लाई जाती है तो चयनित निविदादाता को अतिरिक्त सामग्री का किसी भी प्रकार का अतिरिक्त/पृथक भुगतान देय नहीं होगा।

सफाई व्यवस्था के अनुभव का विवरण

विभाग / संस्थान का नाम	राजकीय / अर्द्धराजकीय / प्राईवेट	अवधि (कार्यादेश की प्रति सलंग्न करें)	दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग / संस्थान में कार्य किया जा रहा है (हाँ / नही)

उदाहरण जैसेः–

विभाग / संस्थान का नाम	राजकीय / अर्द्धराजकीय / प्राईवेट	अवधि (कार्यादेश की प्रति सलंग्न करें)	दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग / संस्थान में कार्य किया जा रहा है (हाँ / नही)
सचिवालय	राजकीय	1 वर्ष	**1.1.98** से **31.12.98** तक	नही

<u>प्रति दिनं कार्य की जॅाच प्रपत्र जो कि नियमित रूप से रखना होगा</u>

दिनांक

1.उपस्थित कर्मचारियों की सख्या :–

2.सफाई सम्बन्धित समस्त कालों का विवरण अलग पुस्तिका में रखना होगा जो कि भुगतान हेतु बिल के साथ संलग्न करना होगा :–

क्र. सं.	कक्ष का विवरण	कार्य का विवरण	प्रातः आठ बजे	दोपहर दो बजे	सांय पॅाच बजे
1	स्वागत कक्ष	फर्श, छत, दीवार, तस्वीरे, मेज, कुर्सी, सोफा, दरवाजे, मानीटर, कॉच की दीवार, टेलिफोन इत्यादी			
2	कोरीडोर	फर्श, छत, दीवार, तस्वीरे, दरवाजे, शू रैक इत्यादी			
3	मेनेजर रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, पर्दे, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी			
4	एक्जीक्यूटिव रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, पर्दे, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी			
5	कान्फ्रेंस रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर,/टी.वी. कॉच की दीवार, इत्यादी			
6	एडमिनस्ट्रैटर रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, पर्दे, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी			
7	एफ.एम.एस. रूम	फर्श, छत मेज, कुर्सी दरवाजे खिडकिया, मानीटर इत्यादी			
8	रैस्ट रूम	फर्श, छत, दीवार, तस्वीरे, दरवाजे, पलंग, गद्दे, चादर, तकिये टेबिल रैक इत्यादी			
9	गैस्ट रूम	फर्श, छत, दीवार, तस्वीरे, मेज, कुर्सी, सोफा, एवं दरवाजे इत्यादी			
10	स्टेजिंग एरिया	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी निविदा दाता द्वारा स्टैजिंग एरिये में रखी रैक उपकरणों को साफ नंही करना होगा			
11	टायलैट्स	सम्पूर्ण क्षेत्र (पीली पपडी नहीं पडनी चाहिए)			
12	ब्रेकआउट एरिया एक्वागार्ड एवं वाश वेसिन	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, फ्रिज, गिजर,माइक्रावेव एक्वागार्ड वाश वेसिन एवं अन्य उपकरण			
13	डी एस एम भवन (सम्पूर्ण क्षेत्र मय	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर, कॉच की			

	कोन्फ्रेन्स हॉल कोरिडोर एवं टॉयलेट)	दीवार, इत्यादी			
14	ओल्ड डाटा सेन्टर भवन (सम्पूर्ण क्षैत्र मय टॉयलेट)	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर, कॉच की दीवार, इत्यादी			
15	कोरीडोर	फर्श, छत, कॉच की दीवारें, दीवार,, दरवाजे, इत्यादी			
16	सिढियां /लिफ्ट /लिफ्टरूम	फर्श, छत, कॉच की दीवारें, दीवार,, दरवाजे, इत्यादी			
17	एन.ओ.सी.	फर्श, छत मेज, कुर्सी एवं दरवाजे खिडकिया, रैक्स मानीटर,,पर्दे, कॉच की दीवार, इत्यादी			
18	सर्वर फार्म	फर्श, कॉच के दरवाजे एवं खिडकिया, इत्यादी निविदा दाता द्वारा सर्वर फार्म में रखे उपकरणों को साफ नंही करना होगा तथा सर्वर फार्म में एफ.एम.एस. टीम के प्रतिनिधी के साथ ही प्रवेश करेगा।			
19	विद्युत कक्ष एवंम यू पी एस रूम	फर्श, कॉच के दरवाजे एवं खिडकिया, इत्यादी निविदा दाता द्वारा विद्युत कक्ष में रखे उपकरणों को वेक्यूक्लिनर द्वारा साफ करना होगा तथा एफ.एम. एस. टीम के प्रतिनिधी के साथ ही प्रवेश करेगा			
20	जनरेटर रूम एवंम फायर फायटिंग कंट्रोल रूम	फर्श, कॉच के दरवाजे एवं खिडकिया, इत्यादी निविदा दाता द्वारा विद्युत कक्ष में रखे उपकरणों को साफ नही करना होगा तथा एफ.एम.एस. टीम के प्रतिनिधी के साथ ही प्रवेश करेगा			

हस्ताक्षर सुपर वाईजर

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक.................... को प्रथम पक्ष (फर्म का नाम, पता) से कार्य कर रहे है तथा अनुबन्ध में उन्हें प्रथम पक्ष/ठेकेदार कहा गया है तथा द्वितीय पक्ष उपमुख्य अभियन्ता (आई टी एण्ड सी आर पी), जयपुर डिस्कॉम जयपुर है जिन्हें अनुबन्ध में द्वितीय पक्ष कहा गया है के मध्य निष्पादित किया जाता हैः–

डाटा सेन्टर भवन ऑल्ड पावर हाउस परिसर बनीपार्क जयपुर , की सफाई व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा निविदाऐं आमंत्रित की गई थी तथा प्रथम पक्ष की निविदा स्वीकृत की गयी थी जिसके आधार पर निम्न शर्तो पर यह अनुबन्ध किया जाता हैः–

1 यह अनुबन्ध दिनांक ....(आदेश दिनांक) से (तीन वर्ष के बाद की दिनांक) तक का होगा। डाटा सेन्टर भवन, की समस्त सफाई व्यवस्था हेतु निविदा क्रमांक 36 के सम्बन्ध में दिये गये विभागीय आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के अनुसार सफाई कार्य हेतु ठेका/निविदा तीन वर्ष के लिए है। उक्त वर्णित ठेके की कुल लागत .... /– (अक्षरे रूपये मात्र)। निविदा क्रमांक.................... दिनांक .... इस अनुबन्ध का भाग है।

2 यह कि प्रथम पक्ष निविदा की शर्तो व ठेके की शर्तो का पूर्णतया पालन करेगा। प्रथम पक्ष का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया एवं सफाई कर्मियों द्वारा हडताल की जाती है और निविदादाता इस अवधि में डाटा सेन्टर भवन, के सफाई कार्यो को कराने में असमर्थ रहता है तो द्वितीय पक्ष अन्य श्रोतों से कार्य करवाने का हकदार होगा तथा इसके लिए प्रथम पक्ष खर्चे व हर्जाने का जिम्मेदार होगा तथा खर्चे व हर्जाने की राशि न जमा कराने पर द्वितीय पक्ष द्वारा जमानत राशि/प्रतिभूति राशि (Security Money) से समायोजित कर ली जावेगी।

3 यह है कि निविदा प्रपत्र क्रमांक 36 में उल्लेखित एवं वर्णित प्रसाधन/सामग्री/Man Power के क्रम में सफाई यंत्र, वेक्यूम क्लीनर सफाई सामग्री आदि की व्यवस्था प्रथम पक्ष को स्वयं करनी होगी। इसके लिए द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। सफाई व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री का उपयोग करना होगा।

4 यह कि प्रथम पक्ष को सफाई कार्य हेतु 6 कर्मचारियों को प्रति दिवस रखना एवं निविदा क्रमांक 36 में उल्लेखित वर्णित कार्यो के अनुसार समस्त डाटा सेन्टर भवन, की समस्त सफाई कार्य उल्लेखित सफाई संसाधनों से करना अनिवार्य होगा एवं सफाई व्यवस्था के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा सफाई सम्बन्धी दिये गये आदेशों का बिना किसी विवाद के पालन करना होगा। सफाई प्रथम पक्ष द्वारा सबलेट नहीं किया जावेगा।

5 यह है कि प्रत्येक माह का बिल प्रस्तुत करते समय प्रथम पक्ष/ठेकेदार को यह भी आवश्यक रूप से प्रमाणित करना होगा कि लेबर ऐक्ट के किसी भी प्रावधान/कानून का उलघंन किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है।

6 यह है कि सफाई कार्यो के विवरण में दिये सफाई कार्यो को करते समय दुर्घटनावश या अन्य किसी कारण वश यदी किसी सफाईकर्मी की मृत्यु हो जाती है अथवा किसी भी रूप से अपंग हो जाता है तो उसकी गलती जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि देने का भार ठेकेदार/निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

7 यह है कि किसी भी माह मे डाटा सेन्टर भवन, में सफाई व्यवस्था पर्याप्त स्तर की नहीं पायी जाने पर उस माह के बिल में से निविदा में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप राशि दण्ड स्वरूप काट ली जावेगी।

8 यह है कि यदि कर्मचारी राज्य बीमा के अर्न्तगत कटौती किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को सफाई कर्मियों पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार/निविदादाता को होगा।

9 यह है कि डाटा सेन्टर भवन में सफाई कार्य करने के बाद प्रत्येक सफाई कार्य करने वाले व्यक्ति को वर्दी सहित निविदा में वर्णित समयानुसार तक उपलब्ध कराने होंगे जो अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

10 प्रथम पक्ष द्वारा सफाई व्यवस्था सम्बन्धी कार्यो का डाटा सेन्टर भवन, स्थित समन्वयक अधिकारियों से बिल सत्यापन करवा कर तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर प्रति माह की दर से माह की समाप्ति पर पन्द्रह दिन के पश्चात भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।

11 यह कि ठेकेदार/निविदादाता को जमानत के रूप में ठेके/निविदा की राशि का 5 प्रतिशत जमानत राशि/प्रतिभूति राशि (Security Money) सफाई कार्य करने से पूर्व द्वितीय पक्ष के पास जमा करानी होगी तथा धरोहर राशि (Earnest Money) जमानत राशि/प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित कर ली जावेगी। यह राशि ठेके की राशि की समाप्ति पर लिखित प्रार्थना पत्र देने पर ही देय होगी। प्रथम पक्ष/ठेकेदार द्वारा इस इस अनुबन्ध के संबंध में कोई भी देय राशि उसकी जमानत राशि/प्रमिभूति राशि (Security Money) से वसूल करने का द्वितीय पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा। अतः ठेकेरादर/निविदादाता द्वारा ठेके की कुल राशि रूपय /— (अक्षरे रूपये मात्र) का 5 प्रतिशत रूपये /— (अक्षरे रूपये मात्र) जमानत राशि/प्रतिभूति राशि (Security Money) निम्नानुसार जमा करानी होगा।

12. यह कि निविदा व ठेके की शर्तो व इस अनुबन्ध की शर्तो के उलधंन करने व कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर द्वितीय पक्ष को बिना नोटिस के ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

13 यह है कि इस अनुबन्ध के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,जयपुर डिस्कॉम, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा तथा प्रथम पक्ष/ठेकेदार को मान्य होगा।

14 नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर/सर्विस टैक्स व अन्य कर की कटौती की जायेगी।

15 यह कि निविदा शर्तो के अनुसार सफाई व्यवस्था हेतु काम मे ली जाने वाली सामग्री का विवरण पंजिका में आपको रखना होगा। जिसकी जांच अधिकृत अधिकारीद्वारा की जा सकेगी। सामग्री के लेखा जोखा में कमी पायी जाने पर निविदा की शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

16 यह कि इस अनुबन्ध का न्याय क्षेत्राधिकार जयपुर राजस्थान ही होगा। इस अनुबन्ध पर हम दोनों पक्षकारान ने उक्त वर्णित तिथि पर साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर स्वस्थ चित्त, समझ कर एवं पढ कर किये जाकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे।

17 यह कि इस करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वाचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न जयपुर डिस्कॉम जयपुर द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे तथा जयपुर डिस्कॉम जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

18 यह कि इसके साक्ष्य में पक्षकारों में आज दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर किये।

ठेकेदार मालिक	उपमुख्य अभियन्ता (IT&CRP),
	जयपुर डिस्कॉम जयपुर
दिनांक	दिनांक
साक्षी	साक्षी
1.	1.
2.	2.

शपथ पत्र (राशि रूपये 1000/– के नान् ज्यूडिशियल पर)

मैसर्स ं (फर्म का नाम एवं पता) शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करती है कि

1. फर्म ....फर्म को पूर्व में राजकीय कार्यालयों, अर्द्धशासकीय कार्यालयों, प्राइवेट कार्यालयों, होटलों एंव बहुमंजिली (कम से कम 10000 sq. feet कर्वड एरिया) भवनों में विशेषकर आधुनिक तकनीकी वातावरण/स्थल जिसमें (कप्यूटर, सर्वर, राउटर, आडियो–विडियो, विजुअल प्रोजैक्शन सिस्टम,एवं अन्य आई टी उपकरण रखे हों,) विनायल शीट कारपेट, विटरीफाईड टाईल ग्रेनाईट एवं इत्यादी के फर्श की सफाई कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव है
2. फर्म का पिछले तीन वर्षो में प्रतिवर्ष राशि रूपये बीस लाख का टर्न ओवर रहा है।
3. फर्म के पास कम से कम 40 कर्मचारियों का स्टाफ कार्यरत है।
4. सफाई कार्यो के विवरण में दिये सफाई कार्यो को करते समय दुर्घटनावश या अन्य किसी कारण वश यदी किसी सफाईकर्मी की मृत्यु हो जाती है अथवा किसी भी रूप से अपंग हो जाता है तो उसकी गलती की जिम्मेदारी फर्म की होगी एवं फर्म द्वारा ही इसके मुआवजे आदि देने का भार फर्म द्वारा ही वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
4. फर्म शपथ पूर्वक यह घोषित करती है कि डाटा सेन्टर भवन पर नियुक्त सफाई कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार प्रतिमाह किया जावेगा।
5. फर्म सफाई के कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को "सबलेट" हस्तान्तरित नही करेगा।
6. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर फर्म को अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक जयपुर डिस्कॉम जयपुर का निर्णय मान्य होगा।
7. किसी भी माह में डाटा सेन्टर भवन में सफाई व्यवस्था पर्याप्त स्तर की नही पायी जाने पर उस माह के बिल में से एस.एल.ए. अनुसार राशि दण्ड स्वरूप काट ली जावेगी।
8. फर्म यह घोषणा करती है कि निविदा की शर्तो के अनुसार निर्धारित सफाई कर्मचारी कार्य समय पर निर्धारित वर्दी में निर्धारित स्थान पर उपलब्ध होंगे तथा कर्मचारी के पास मोबाईल फोन हमेशा चालू स्थिती में रहेगा। अन्यथा निविदा अनुसार फर्म को विभागीय कार्यवाही मान्य होगी।

हस्ताक्षर
नाम, पद, फर्म का
नाम व पूर्ण पता